पत्रांक–9A/राजस्व महा–अभियान 07–11/2025–......204......(9A)/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी0 के0 अनिल,
प्रधान सचिव।

ई–मेल

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता,
सभी अपर समाहर्त्ता,
सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
~~सभी अंचल अधिकारी,~~
बिहार।

पटना–15, दिनांक–......21.01.26

विषय :– राजस्व महा–अभियान (दिनांक–16.08.2025 से दिनांक–20.09.2025 तक) के दौरान प्राप्त परिमार्जन/दाखिल–खारिज के लगभग 46 लाख आवेदनों का दिनांक–31.03.2026 तक निष्पादन हेतु दिशा–निदेश।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–2786(9A), दिनांक–29.07.2025 एवं पत्रांक–3014(9A), दिनांक–20.08.2025, पत्रांक–3238(9A), दिनांक–08.09.2025 एवं पत्रांक–3664(9A), दिनांक–04.12.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजस्व महा–अभियान का आयोजन दिनांक–16.08.2025 से दिनांक–20.09.2025 तक इन उद्देश्यों के लिए किया गया था कि –

(क) डिजिटल जमाबंदी में परिलक्षित समान त्रुटियों का सुलभ/त्वरित निराकरण।
(ख) छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना।
(ग) उत्तराधिकार नामांतरण (Inheritance Mutation)।
(घ) बँटवारा आधारित नामांतरण।

2. माननीय मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा, 2026 के क्रम में यह निदेश प्राप्त हुआ है कि विभिन्न अंचलों में राजस्व महा–अभियान के क्रम में एकत्रित 46.00 लाख परिमार्जन प्लस/दाखिल–खारिज के लंबित आवेदनों का निष्पादन युद्ध स्तर पर दिनांक–31.03.2026 तक पूर्ण कर लिया जाए।

3. उक्त के आलोक में महा–अभियान, 2025 के दौरान प्राप्त आवेदनों का निष्पादन निम्नलिखित प्रणाली एवं समय–सारणी के आलोक में की जाय :–

(क) सर्वप्रथम अभियान के दौरान प्राप्त सभी लगभग 46.00 लाख आवेदनों की प्रविष्टि जिलावार, अंचलवार एवं हल्कावार प्रविष्टि ऑनलाइन प्रणाली में की जाए।

(ख) परिमार्जन के लगभग 40.00 लाख आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर कंडिका–4 में दिये गये समय सारणी के अनुसार निष्पादित किया जाए।

(ग) प्राप्त आवेदनों को दो श्रेणियों यथा–(i) अविवादित एवं (ii) विवादित, जहाँ दो पक्षों का मामला सन्निहित हो, में विभाजित की जाएंगी। अविवादित आवेदनों का निष्पादन जिला मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा। सिर्फ विवादित मामलों का निष्पादन शिविर में किया जाएगा। "राजस्व सेवा शिविर" का आयोजन पंचायत भवनों में अंचल अधिकारी एवं संबंधित हल्का के कर्मचारी के समक्ष की जाए।

(घ) शिविरों में स्थल पर ही सुनवाई, अभिलेख सत्यापन एवं आदेश पारित करने की व्यवस्था रहेगी। ऐसी स्थिति में सरकारी लैपटॉप इत्यादि का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। दक्ष कम्प्यूटर सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/ऑपरेटर अभियान में सहयोग देंगे।

(ङ.) एक ही परिवार/खाताधारी से संबंधित मामलों का समेकित निष्पादन किया जाएगा, जिससे "समान परिस्थितियाँ समान आदेश" का सिद्धान्त बरकरार रहें।

(च) ज्ञातव्य हो कि भूमि नापी (Demarcation) अभियान भी समानांतर (Parellel) रूप से उसी अवधि में चलाया जाना है, जिसमें अमीनों की सेवा ली जाएगी। ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी शिविर लगाने एवं अमीन मापी के संबंध में समेकित आदेश निकालकर समन्वय स्थापित करेंगे।

4. समय सारणी

(क) सभी वादी/प्रतिवादी को नोटिस/सूचना देना अनिवार्य	–15 दिवस
(ख) शिविर में निर्धारित तिथि को सुनवाई	–07 दिवस
(ग) आवेदकों/वादी द्वारा दोनों पक्ष से अभिलेख दाखिल	–07 दिवस
(घ) सकारण आदेश पारित करना	–15 दिवस
कुल	–45 दिवस

5. कैम्प/शिविर लगाने हेतु राशि अलग से मुख्यालय से उपलब्ध कराई जाएगी।

6. शिविर को व्यवस्थित ढंग से चलाने का पूर्ण दायित्व अंचल अधिकारी का होगा। इस कार्य के वरीय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अपर समाहर्त्ता सहयोग के साथ उचित पर्यवेक्षण करेंगे।

7. समाहर्त्ता उक्त पूरे राजस्व महा–अभियान के मुख्य सूत्रधार है (Prima donna/Lynch pin) है एवं उनके नेतृत्व में ही सूक्ष्म योजना हल्कावार (Micro Plan Halka wise) अनुमोदन से कार्य संपन्न होगा।

8. प्रमण्डलीय आयुक्त भी पूरे अभियान के सामान्य पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु संक्रिय भूमिका निभाते हुए सफल बनाऐंगे।

9. यह अभियान दिनांक–26.01.2026 से 31.03.2026 तक चलेगा।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

for. 21/1/26

(सी0 के0 अनिल)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–9A/राजस्व महा–अभियान 07–11/2025–204 (9A)/रा0, पटना–15, दिनांक– 21/01/26

प्रतिलिपिः– सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

for 21/1/26

(सी0 के0 अनिल)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–9A/राजस्व महा–अभियान 07–11/2025–204 (9A)/रा0, पटना–15, दिनांक– 21/01/26

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

for 21/1/26

(सी0 के0 अनिल)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–9A/राजस्व महा–अभियान 07–11/2025–204 (9A)/रा0, पटना–15, दिनांक– 21/01/26

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक निदेशक–सह–जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी (विभाग में प्रतिनियुक्त)/विभागीय आई0 टी0 प्रबंधक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

for 21/1/26

(सी0 के0 अनिल)

प्रधान सचिव।

कैलेंडर : राजस्व महा–अभियान चतुर्थ एवं पंचम चरण

(दिनांक–04.12.2025 से दिनांक–31.03.2026 तक)

क्र0	गतिविधियाँ	समय–सीमा/ अवधि	उत्तरदायी विभाग/ कार्यालय/पदाधिकारी/ कर्मी	अभ्युक्ति
(1)	स्कैनिंग एवं अपलोडिंग संबंधी पत्र निर्गत करना।	दिनांक–04.12.2025	विभागीय प्रशाखा–09ए (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	विभागीय पत्रांक–3664(9A), दिनांक–04.12.2025 द्वारा संसूचित।
(2)	महा–अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों के अंतिम निष्पादन हेतु विस्तृत दिशा–निदेश निर्गत करना।	दिनांक–21.01.2026	1. विभागीय प्रशाखा–09A (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	
(3)	मॉनिटरिंग सेल की स्थापना।	दिनांक–22.01.2026 दिनांक–24.01.2026	विभागीय प्रशाखा–09A (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) जिला एवं अनुमंडल स्तर पर।	समाहर्त्ता द्वारा आदेश निर्गत किया जाएग।
(4)	मॉडल माईक्रो प्लान को राजस्व महा–अभियान पोर्टल पर अपलोड करना।	दिनांक–25.01.2026	सभी अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी।	
(5)	राजस्व महा–अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों का निष्पादन।	दिनांक–31.03.2026	सभी अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी।	
(6)	निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण।	दिनांक–26.01.2026 से दिनांक–31.03.2026 तक	विभागीय पदाधिकारी/समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता	
(7)	प्रचार–प्रसार– 1. दैनिक समाचार एवं दूरदर्शन पर विज्ञापन दिया जायेगा 2. रेडियों जिंगल के माध्यम से प्रचार–प्रसार	दिनांक–26.01.2026 से 31.03.2026 तक	विभागीय मीडिया सेल/समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता/अंचल अधिकारी द्वारा	

E:\2026\9A\Rajswa Maha-abhiyan\Rajaswa Maha Abhiyaan Calender_4th & 5th Phase.docx